

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वीरवार, 13 अक्टूबर, 2006/ आश्विन 21, 1928 (शक)

संख्या-187

विषय: सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित,
उपायुक्त, जिला नई दिल्ली, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि डा0 हर्ष वर्धन,
माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65
के तहत 11, अशोका रोड से दिनांक 10-10-2006 को अपराह्न 12.30 बजे
गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से अपराह्न 12.35 बजे रिहा कर दिया
गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Thursday 13th October, 2006/21 Ashvin, 1928 (Saka)

No. 187

Sub : DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker,
Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, New Delhi
District, Delhi.

"I have the honour to inform you that Dr. Harsh Vardhan,
Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained U/s
65 of Delhi Police Act from 11, Ashoka Road, New Delhi at 12.30
P.M. on 10.10.2006 and was released at 12.35 P.M. from the same
place on the same day."

Siddharath Rao
Secretary